राजस्थान–सरकार

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग,

स्वास्थ्य भवन, तिलक मार्ग, सी–स्कीम, जयपुर

दूरभाष सं0 : 0141–2224878 ई–मेल: rmsc.mnjy@gmail.com

एफ04 (161)एमएनजेवाई /बीएमई/ 2016–17/ 1012 दिनांक 26/5/16

मीटिंग मिनिटस

निदेशक(एडस) एवं नोडल अधिकारी मुख्यमंत्री निशुल्क जांच योजना के मीटिंग नोटिस क्र0 एफ04()एमएनजेवाई/2016–17/956 दि0 06.05.16 के अनुसार एमएनजेवाई अन्तर्गत चिकित्सा संस्थानों में संचालित उपकरणों के रख रखाव, एएमसी/सीएमसी, केलीब्रेशन्स, रिएजेन्टस की गुणवत्ता जांचने हेतु लगने वाले कन्ट्रोल एवं केलीब्रेशन्स एवं जोन स्तर पर बैकअप प्रकोष्ठ में उपलब्ध उपकरणों की समीक्षा के क्रम में दि0 17.05.16 को प्रातः 11 बजे अद्योहस्ताक्षरकर्ता के कक्ष में बैठक आयोजित की गई।

बैठक में निम्न प्रकार अधिकारी/बायोमेडिकल इंजीनीयर उपस्थित रहें।

क्र.सं.	अधिकारी/बायोमेडिकल इंजीनीयर का नाम	पद
1.	डॉ. एस.एस. चौहान	निदेशक(एडस) एवं नोडल अधिकारी (मुख्यमंत्री निशुल्क जांच योजना)
2.	डॉ. गुणमाला जैन	प्रभारी(मुख्यमंत्री निशुल्क जांच योजना)
3.	श्री चैतन्य कुमार सैनी	बायोमेडिकल इंजीनीयर(आई.टी) मुख्यालय
4.	श्री आकाश सेन	बायोमेडिकल इंजीनीयर (रिपेयर एन्ड मेन्टेनेन्स)मुख्यालय
5.	श्री मन्दीप कुमार	बायोमेडिकल इंजीनीयर(जोन भरतपुर)
6.	श्री निशांत यादव	बायोमेडिकल इंजीनीयर(जोन बीकानेर)
7.	श्री संजय चौहान	बायोमेडिकल इंजीनीयर(जोन जोधपुर)
8.	श्री अभिलाष कुमार सोनी	बायोमेडिकल इंजीनीयर(जोन जयपुर एंड अजमेर)
9.	श्री प्रतीक पालीवाल	बायोमेडिकल इंजीनीयर(जोन उदयपुर)
10	श्री सुनील मालवीया	बायोमेडिकल इंजीनीयर(जोन कोटा)

मीटिंग एजेण्डानुसार चर्चा कर निम्नानुसार आवश्यक निर्देश प्रदान किये गये:–

क्र. सं.	एजेण्डा	निर्णय/सुझाव
1.	समस्त चिकित्सा संस्थानों में कन्ट्रोल,प्रोसेस के संबंध में	• बैठक में सबसे महत्वपूर्ण Routin tour को किये जाने पर विशेष निर्देश दिये गयें। • मुख्यालय एवं जोन के समस्त बायोमेडिकल इंजीनीयर्स को जोन के समस्त चिकित्सा संस्थानों में जोन स्तर, जिला स्तर पर नई चेकलिस्ट तैयार कर उन चिकित्सा संस्थानों को चिंहित कर भ्रमण करने हेतु निर्देशित किया गया, जिसमे उपकरणों की सामान्यतः अक्रियाशीलता रहती है। • जिसके अन्तर्गत रिएजेन्ट्स/उपकरणों की उपलब्धता, कार्यशीलता एवं क्वालिटी देखने हेतु निर्देशित किया गया। तत्पश्चात् चिकित्सा संस्थानों के कार्मिको को साथ में लेकर Control, Standared एवं Calibirator लगवाकर रिएजेन्टस की क्वालिटी चैक करने हेतु, तथा इसका रिकॉर्ड संधारित करने हेतु संबंधित तकनीकी कर्मचारियों को उचित दिशा निर्देशों देंने हेतु निर्देशित किया गया है। • Routin tour के दौरान वर्कलोड के अनुसार जोन के जिला चिकि0/उपजिला/सेटेलाइट/सीएचसी/पीएचसी/डिस्पेन्सरीज चिकित्सा केन्द्रों में out the way के अनुसार आवश्यक रूप से अवलोकन किये जाने एवं जहां जहां ब्रेक डाउन की स्थिति रहती है उसके अनुसार भ्रमण कार्यक्रम को बदलने हेतु भी निर्देशित किया गया है। • भ्रमण कार्यक्रम की सूचना संयुक्त निदेशक(जोन) मुख्यालय तथा नोडल अधिकारी/प्रभारी एमएनजेवाई अनुभाग को भी आवश्यक रूप से उपलब्ध करवाने हेतु निर्देशित किया गया है।
2.	उपकरणों के उपयोग के संबंध में।	• सभी बीएमई को जोन के अधीन उपलब्ध बैक अप मशीनों का जोन के चिकित्सा संस्थानों में नीड बेस के अनुसार उपयोग करने एवं समय–समय पर जोन के चिकित्सा केन्द्रों से उपकरणों/कन्जूमेबल्स/रिएजेन्टसों की डिमांड प्राप्त करने/चैक कराने हेतु निर्देशित किया गया।
3.	बजट उपलब्धता के क्रम में	• मुख्यालय से समय–समय पर चिकित्सा संस्थानों को हस्तानान्तरित बजट सूचना की प्रति सभी बीएमई को भी भिजवाई जावेगी, जिसके अनुसार बीएमई द्वारा सभी चिकित्सा केन्द्रों में 18 उपकरणों एवं मशीनरी मद में प्राप्त बजट के अनुसार

राजस्थान–सरकार
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग,
स्वास्थ्य भवन, तिलक मार्ग, सी–स्कीम, जयपुर

दूरभाष सं0 : 0141–2224878 ई–मेल: rmsc.mnjy@gmail.com

एफ04 (161)एमएनजेवाई /बीएमई/ 2016–17/ दिनांक

		चिकित्सा केन्द्रों के उपकरणों की एएमसी/सीएमसी करवायें जानें कन्जूमेबल्स/रिएजेन्टस आदि की व्यवस्था किये जाने हेतु चिकित्सा प्रभारी/कार्मिकों को विचार–विमर्श कर सुझाव देने हेतु निर्देशित किया गया।
4.		• चिकित्सा संस्थानों मे उपलब्ध महंगें रिएजेन्ट्स/कन्जूमेबल्स खराब नहीं हो इसके लियें संबंधित चिकित्सा अधिकारी/कार्मिकों को इन रिएजेन्ट्स/कन्जूमेबल्स को समय पर उपयोग किये जाने हेतु आवश्यक सुझाव देने हेतु निर्देशित किया गया। साथ ही, यदि चिकित्सा केन्द्रों में उपरोक्त रिएजेन्ट्स/कन्जूमेबल्स की अनुपलब्धता रहती है तो अन्य सेल काउन्टर के द्वारा भी जांचों को चैक करानें तथा इनके एक्सपाइरी डेट को देखते हुयें उपयोग कराने तथा समय पर डिमांड प्रेषित किये जाने हेतु निर्देशित किया गया है।
5.	जोन/जिले में वीआईपी व्यक्तियों के विजिट के दौरान की जाने वाली कार्यवाही	• समय–समय पर जोन एवं जिले में माननीया मुख्यमंत्री, माननीय मंत्री महोदय तथा अन्य महत्वपूर्ण व्यक्तियों के द्वारा किये जाने वाले भ्रमण के पूर्व बीएमई द्वारा संबंधित मुख्य चिकित्सा एवं स्वा0 अधिकारियों तथा प्रमुख चिकित्सा अधिकारियों से विचार विमर्श कर जोन/जिले के सभी चिकित्सा संस्थानों में उपकरणों के संचालन/रिएजेन्टस तथा बैक अप व्यवस्थाओं आदि की उपलब्धता सुनिश्चित कराने हेतु बीएमई को निर्देशित किया गया।
6.	उपकरणों की मैपिंग के संबंध में	• सभी बीएमई को जोन/ जिला स्तर पर ई औषधी सॉफ्टवेयर से उपकरणों का मिलान करने, उपकरणों की मैपिंग सही करवानें तथा जिन संस्थानों में मैपिंग नही हुई है उनको पुनः मैपिंग कराने हेतु निर्देशित किया गया है।
7.	अन्य महत्वपूर्ण निर्देश	• इसके अतिरिक्त समय–समय पर विधानसभा सत्र के दौरान प्राप्त विधानसभा प्रश्नों में वांछित उपकरणों की सूचना तथा अनुभाग को मुख्यमंत्री सूचना तंत्र (सीएमआईएस) के सुगम/राजस्थान सम्पर्क पोर्टल पर तथा प्राप्त शिकायत प्रकरणों के क्रम में चिकित्सा संस्थानों के उपकरणों की सूचना राज्य सरकार एवं संबंधित को ठीक प्रकार/समय पर भिजवायें जाने हेतु सभी बीएमई को चिकित्सा संस्थानों में उपलब्ध उपकरणों के संचालित होने की रिर्पोटिंग सिस्टम समान रखने। • उपकरणों की रिपोर्ट सीधे एमएनजेवाई अनुभाग को प्रेषित करने। • अनुपयोगी उपकरणों की सूचना तथा लैब में उपकरणों के क्रम में समय–समय पर नोट अंकित किये जाने हेतु भी निर्देशित किया गया है।

उपरोक्त निर्देशों के दिये जाने के उपरान्त बैठक सधन्यवाद समाप्त हुई।

निदेशक (एड्स) एवं नोडल अधिकारी
मुख्यमंत्री निशुल्क जांच योजना
राजस्थान, जयपुर

कमांकः एफ04(161)/एमएनजेवाई/ बीएमई /2016–17 1012 दिनांकः 26/5/16

प्रतिलिपिः

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चि0 एवं स्वा0 विभाग, जयपुर।
2. निजी सचिव, विशिष्ट शासन सचिव, चि0 एवं स्वा0 विभाग एवं मिशन निदेशक, एनएचएम, जयपुर।
3. निजी सहायक, प्रबंध निदेशक, आर.एम.एस.सी.एल, जयपुर।
4. निजी सहायक, निदेशक (जन स्वा0/एड्स), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राज0 जयपुर।
5. संयुक्त निदेशक(समस्त जोन)।
6. वित्तीय सलाहकार (मुख्यालय), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राज0 जयपुर।
7. कार्यकारी निदेशक (ई.पी.एम.), आर.एम.एस.सी.एल, जयपुर।
8. समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वा0 अधिकारी/प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, राजस्थान।
9. बायो मेडिकल इन्जीनीयर, आई.टी/ रिपेयर एन्ड मेन्टेनेन्स मुख्यालय को पालनार्थ।
10. समस्त बायोमेडिकल इन्जीनीयर, जोन को पालनार्थ।
11. रक्षित पत्रावली।

निदेशक (एड्स) एवं नोडल अधिकारी
मुख्यमंत्री निशुल्क जांच योजना
राजस्थान, जयपुर